भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4200

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

कर्नाटक में जल संकट

4200. श्री डी. के. सुरेश:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक पानी की कमी के सर्वाधिक भीषण संकट से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके कारण किसानों द्वारा सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में उगाई गई खड़ी फसल खराब होने के कगार पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार जल संकट समाप्त करने के लिए दीर्घावधि उपाय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 91 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की मॉनीटरिंग करता है। इनमें से सीडब्ल्यूसी की मॉनीटरिंग के तहत कर्नाटक में 14 जलाशय हैं जिनकी कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 23.49 बीसीएम है। दिनांक 11.07.2019 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सक्रिय भंडारण 6.18 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 26% है। इन जलाशयों में विगत वर्षों की तदनुरूपी अवधि के दौरान भंडारण 45% था तथा विगत 10 वर्षों का औसत भंडारण की तदनुरूपी अवधि के दौरान सक्रिय भंडारण क्षमता का 29% था। अतः विगत वर्ष के भंडारण की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भंडारण कम है और विगत 10 वर्षों का औसत भंडारण क्षमता भी तदनुरूप अवधि के दौरान कम है।

देश के सक्रिय भूमि जल संसाधनों का केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है। कर्नाटक में, 2017 के आकलन के अनुसार कुल 176 तालुकाओं में से 45 तालुकाओं को "अति-दोहित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां वार्षिक भूजल निष्कर्षण वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन से अधिक है।

(घ) जल, राज्य का विषय होने के कारण जल संकट के निपटान सहित जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण तथा कुशल प्रबंधन, प्रथमतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देने के क्रम में, केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी तथा वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-17 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गयी। जिसका उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत फार्म जल उपयोग क्षमता में सुधार, स्थायी जल संरक्षण प्रणाली आदि और फार्म पर जल को वास्तविक रूप से पहुंचाने तथा सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना है। 2016-17 के दौरान, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही निन्यानबे (99) बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों के परामर्श से प्राथमिकता दी गई है जिनकी अधिकतम सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर है और जिन्हें दिसम्बर, 2019 तक चरणवार पूरा किया जाना है। कर्नाटक राज्य में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत दिसंबर, 2019 तक चरणों में पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श से पांच बृहत/मध्यम चालू सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) बनाई है जिसमें जल की उपलब्धता में सुधार के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरण की परिकल्पना है

भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान शुरू किया गया जो जल दबाव ब्लॉकों की भूजल स्थिति में जल उपलब्धता में सुधार के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ चलाया जाने वाला एक समयबद्ध अभियान है।

केंद्र सरकार द्वारा भूजल की कमी को नियंत्रित करने और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए गए कुछ प्रयास/उपाय निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

*****